न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 36/2021 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1– शान्तिलाल पिता उंकार सुथार निवासी निकुम्भ तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता उंकार सुथार निवासी निकुंभ तहसील बडीसादडी
2. मदनलाल पिता उंकार सुथार निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
3. मनोहरलाल पिता बंशीलाल सुथार निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
4. ओमप्रकाश पिता बंशीलाल सुथार निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
5. कलादेवी पत्नी दिनेश सुथार निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
6. नारायण लाल पिता वरदा पुर्बिया निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
7. प्रेमबाई पत्नी देवीलाल सुथार निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी
8. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निकुम्भ
9. राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी
10. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय निकुंभ

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री डी.के. वैष्णव वकील प्रार्थी

–:: आदेश::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209, आर.टी.एक्ट का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से निश्चित ही प्रार्थी के हक में निर्णित होगा किन्तु प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है इसीलिये यह प्रार्थना वास्तें अस्थाई निषेधाज्ञा पृथक से पेश किया जा रहा है।
2. ग्राम निकुंभ पटवार सर्कल निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी में खतोनी संख्या नई 1064 की आराजी खसरा नं. 2546 रकबा 0.2200 है लगानी 2.86 रूपया आराजी नं. 2657 रकबा 0.0500 है लगानी 0.35 पैसा आराजी नं. 3229 रकबा 0.0600 है लगान 1.14 रूपया कुल किता 3 कुल रकबा 0.3300 है लगानी 4 रूपया 35 पैसा भूमि में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 1 मांगीलाल का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 2 मदनलाल का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 4 ओमप्रकाश का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 5 कलादेवी का 1/55 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 6 नारायण लाल का 2/11 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है उक्त आराजी के भू–प्रबंधक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी खसरा नं. 1683/1क रकबा 1 बीघा 01 विस्वा आराजी नं. 1847 रकबा 0–05 विस्वा आराजी नं. 2084 रकबा 0–06 विस्वा है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल संलग्न है।
3. ग्राम निकुंभ पटवार सर्कल निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी में खतोनी संख्या नई 1074 की आराजी खसरा नं. 3249 रकबा 0.5300 है लगानी 10.07 रूपया भूमि में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 1

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

मांगीलाल का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 2 मदनलाल का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 3 मनोहरलाल का 18/115 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 5 कलादेवी का 1/55 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 6 नारायण लाल का 2/11 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 7 प्रेमबाई का 1/23 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है उक्त आराजी के भू प्रबंधक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी खसरा नं. 2076 रकबा 2 बीघा 11 विस्बा है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल संलग्न है

4. ग्राम निकुंभ पटवार सर्कल निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी में खतोनी संख्या नई 1078 की आराजी खसरा सं. नं. 2584 रकबा 0.0100 है गे.मु.चाह अराजी नं. 2585 रकबा 0.7300 है लगानी 9.49 रूपया आराजी नं. 2656 रकबा 0.8200 है लगानी 10.66 रूपया आराजी नं. 2691 रकबा 0.4900 है लगानी 6.37 रूपया कुल किता 4 कुल रकबा 2.0500 है लगानी 26 रूपया 52 पैसा भूमि में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 1 मांगीलाल का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 2 मदनलाल का 1/5 हक हिस्सा, विपक्षी कमांक 3 मनोहरलाल का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 5 कलादेवी का 1/55 हक हिस्सा विपक्षी कमांक 6 नारायण लाल का 2/11 हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है उक्त आराजी के भू प्रबंधक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी खसरा नं. 1683 /2 रकबा 0–01 विस्बा आराजी नं. 1683/1ग रकबा 3 बीघा 10 विस्बा आराजी नं. 1848 रकबा 3 बीघा 18 विस्बा आराजी नं. 1825 रकबा 2 बीघा 7 विस्बा है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल संलग्न है।
5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित आराजीयात को प्रार्थना पत्र मे आगे चलकर सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 मे वर्णित आराजीयात पूर्ण में मूल पुरूष श्री उंकार पिता मूणा जी सुथार साकीन निकुंभ के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी श्री उंकार जी के पांच पुत्र हुये जो कमश श्रीलाल, शान्तिलाल, बंशीलाल , मांगीलाल मदनलाल पिता उंकार जी सुथार है। श्री उंकार पिता मूणा जी सुथार ने अपने जीवनकाल मे अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात एवं अन्य चल अचल सम्पतियों का अपने पुत्रों की सहमति से बहामी आपसी बंटवाडा कर दिया तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया । प्रार्थी एवं विपक्षी कमांक 1, 2 तथा बंशीलाल एवं श्रीलाल जी के मध्य वादग्रस्त आराजीयात से सम्बंध मे विवाद नही हो इसलिये श्री उंकार जी ने अपने
जीवनकाल में दिनांक 11.1.2002 को रूबरू गवाहान वसीयत नामा स्टाम्प खरीद कर उस पर वसीयत नामा निस्पादित कर उसका पंजीयन उप पंजीयक बड़ीसादड़ी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थी एवं विपक्षी कमांक 1, 2 तथा बंशीलाल एवं श्रीलाल जी की सहमति से निष्पादित किया सहमति स्वरूप वसीयत नामा पर सभी पुत्रों के फोटो चस्पा किये। उक्त वसीयत नामा अनुसार साबिक आरजी नं. 1683/1 क रकबा 1 बिघा 1 विस्बा व आ.न. 1683 /1ग रकबा 3 बिघा 10 विस्बा तथा आ.न. 1683/2 रकबा 1 विस्बा कुलिया 3 कुल रकबा 4 बीघा 12 विस्बा भूमि श्रीलाल पिता उंकार जी सुथार के हिस्से में वसीयत की जिस पर श्रीलाल जी काबिज चले आ रहे थे श्रीलाल जी ने अपनी उक्त आराजीयात को विपक्षी कमांक 5 श्रीमति कलादेवी पत्नी दिनेश सुथार के नाम पर करवा दी जिससे वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी कमांक 5 का नाम दर्ज रिकोर्ड है जिससे मौके पर इसी अनुसार विपक्षी कमांक 5 कलादेवी काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है विपक्षी कमांक 5 श्रीमति कलादेवी ने अपने हिस्से की आराजी मे से रकबा 0.53 है भूमि विपक्षी कमांक 6 नारायण लाल पिता वरदा जी पुर्बिया को विकय की तथा शेष आराजी पर विपक्षी कमांक 5 श्रीमति कलादेवी काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा श्री बंशीलाल जी के पक्ष में आराजी नं. 2084 रकबा 6 विस्बा आ.न. 2076 रकबा 2 बिघा 11 विस्बा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बिघा 17 विस्बा भूमि की वसीयत की तथा उक्त भूमि पर कब्जा सुपूर्द किया श्री बंशीलाल जी ने इनके हिस्से की आराजी को विपक्षी नं. 3 व 4 के नाम पर करवा दी जिससे मौके पर बंशीलाल जी के हक हिस्से की आराजी पर विपक्षी कमांक 3 व 4 काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा श्री बंशीलाल ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी नं. 3249 क्षेत्रफल 0.5300 है में से 1/23 हिस्सा की भूमि विपक्षी कमांक 7 श्रीमति प्रेमबाई को विकय की तथा शेष भूमि पर विपक्षी कमांक 3 व 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्रार्थी शान्तिलाल पिता उंकार जी सुथार विपक्षी कमांक 2 मदनलाल पिता उंकार जी सुथार विपक्षी कमांक 1 मांगीलाल पिता उंकार जी सुथार के निम्न प्रकार वसीयत की जिसमें आ.न. 1848 रकबा 3 बीघा 18 विस्बा आ.न. 1825 रकबा 2 बिघा 7 विस्बा आ.न. 1847 रकबा 5 विस्बा जुमला किता 3 कुल रकबा 6 बिघा 10 विस्बा में प्रार्थी शान्तिलाल के 1/2 हक हिस्सा व विपक्षी कमांक 2 मदनलाल विपक्षी कमांक 1 मांगीलाल के 1/2 हक हिस्से की वसीयत की है यानि 6 बिघा 10 विस्बा में आधा हिस्सा शान्तिलाल के रहेगा तथा आधे में मदनलाल व मांगीलाल रहेगे। जिससे मौके पर प्रार्थी शान्तिलाल एवं विपक्षी कमांक 1व 2 इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु विपक्षी कमांक 1,2 के पक्ष में वसीयत नामा तथा मौके कब्जे से अधिक भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी एवं विपक्षी कमांक 5 श्रीमति कलादेवी के हिस्से मे कम भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थी के पिता उंकार जी ने रजिस्टर्ड वसीयत की। श्री उंकार जी के स्वर्गवास के बाद उंकार जी द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत की गई आराजी पर प्रार्थी एवं विपक्षी कमांक 1,2 व श्री बंशीलाल जी के बजाय विपक्षी कमांक 3 व 4 एवं मृतक श्रीलाल जी के बजाय विपक्षी कमांक 5 मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसी अनुसार मौके पर पालीयां पड़ी हुई है।

7. प्रार्थी के पिता उंकार जी ने वादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में बटवाड़ा कर उक्त भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की उसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। जिससे प्रार्थी उक्त रजिस्टर्ड वसीयत नामा के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है तथा मौके कब्जे अनुसार बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है।
8. प्रार्थी के पिता उंकार जी द्वारा दिनांक 11.1.2002 को वसीयत नामा निष्पादित किया किन्तु प्रार्थी के पिता उंकार जी का देहान्त होने के बाद विपक्षी कमांक 1 व 2 ने राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत करके वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रिकोर्ड में विरास्त का नामान्तरण दिनांक 5.1.2004 को खुलवाया जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा तथा विपक्षी कमांक 1 का 1/5 हिस्सा व विपक्षी कमांक 2 का 1/5 हिस्सा तथा बंशीलाल जी का 1/5 हिस्सा वो भूमि बंशीलाल ने इनके पुत्री विपक्षी कमांक 3 व 4 के नाम पर दर्ज करवा दी तथा विपक्षी कमांक 7 को विकय की एवं श्रीलाल जी का 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ श्रीलाल जी ने अपने हक हिस्से की जमीन विपक्षी कमांक 5 के नाम पर करवा दी जिससे विपक्षी कमांक 5 ने विपक्षी कमांक 6 को भूमि विकय की जबकी मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण वसीयत नामें अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे ळै जिससे प्रार्थी रजिस्टर्ड वसीयत नामा के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का कानूनन अधिकारी ह। तथा मौके कब्जे अनुसार बटवाड़ा कराने का कानूनन अधिकारी है प्रार्थी रिकोर्ड खातेदार काश्तकार होकर मूल खातेदार उंकार जी का जायज पुत्र है जिससे वाद / प्रार्थना पत्र मे वसीयत नामा में अंकित भूमि अनुसार राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज कराना चाहता है ताकी पक्षकारान के मध्य पूर्व में किये गये बटवाड़ा एवं वसीयत नामा अनुसार कब्जेयाबी भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का वाद विवाद नही हो सके। तथा प्रार्थी अपने कब्जे काश्त की आराजी का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक कर सके।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को रहन बय बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नही करे न करावे। तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे।

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

1– प्रथम दृष्टया मामला

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं । प्रार्थी अपने वसीयत में प्राप्त अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा उक्त भूमि का रजिस्ट्रर्ड वसीयत नामा अनुसार पक्षकारान ने मौके पर बंटवाड़ा कर अपने अपने हिस्से पर काविज होकर काश्त कर रहे है वसीयत नामा अनुसार विपक्षी नं. 1 व 2 के पास मौके व कब्जे से अधिक भूमि दर्ज है जिसको विपक्षीगण बिना विभाजन कराये बेचने पर आमादा है। विपक्षीगण प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णयः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (36/2021) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 24.08.2021 के अनुसार विपक्षीगण मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजी नं. 2546 रकबा 0.22, 2657 रकबा 0.05, 3229 रकबा 0.06, 3249 रकबा 0.53, 2584 रकबा 0.01, 2585 रकबा 0.73, 2656 रकबा 0.82, 2691 रकबा 0.49 हैक्ट. भूमि की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी